बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

श्री आकाश कुमार, तत्कालीन खान निरीक्षक, बक्सर सम्प्रति जिला खनन कार्यालय, सीतामढ़ी के अपील के संदर्भ में सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के समक्ष सुनवाई की कार्यवाही :–

क्र0	दिनांक	कार्यवाही
1	2	3
	06.02.2026	अपीलार्थी को सुना तथा अपील के बिन्दुओं पर विभागीय पत्रों का अवलोकन किया। 2. रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में ओरल विटनेस को अनिवार्य बताया गया है। इस मामले में आरोप पत्र में ओरल विटनेस नहीं है। 3. उपरोक्त के अतिरिक्त आरोपित कर्मी से भी बयान लिया गया। आरोपित कर्मी द्वारा बताया गया कि जिला खनन कार्यालय, भोजपुर के पत्रांक–1172, दिनांक–05.05.2025 के माध्यम से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने संचालन पदाधिकारी को मंतव्य प्रतिवेदन दिया था, इसकी प्रति भी उसे उपलब्ध नहीं करायी गयी है। यह भी प्रक्रियात्मक त्रुटि है। 4. अतः CCA Rule के नियम–27(2)(a) सह पठित 27(3) के तहत आदेश ज्ञापांक–प्र0–I–अरा(आ0)–02 / 2023–4654 / एम0, पटना, दिनांक–21.08.2025 को निरस्त किया जाता है। परन्तु अनुशासनिक प्राधिकार स्वतंत्र होगा कि नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर CCA Rule के तहत नियमानुसार कार्रवाई करें। ह0 / – खान आयुक्त–सह–सचिव खान एवं भूतत्व विभाग ज्ञापांकः–प्र0–I अरा0(आ0)–02 / 2023–1296 / एम0, पटना, दिनांक–17/02/26 प्रतिलिपि :– सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / समाहर्त्ता, बक्सर एवं सीतामढ़ी / खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, बक्सर एवं सीतामढ़ी / उप निदेशक, अंचल कार्यालय, पटना एव मुजफ्फरपुर / क्षेत्रीय अराजपत्रित स्थापना (मु0) / आरोप शाखा / श्री आकाश कुमार, तत्कालीन खान निरीक्षक, बक्सर सम्प्रति जिला खनन कार्यालय, सीतामढ़ी / आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। (पीयूष कुमार सिंह) सरकार के अवर सचिव